प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द गिरी पुत्र श्री करतार गिरी निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12857/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.04.2017 दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द गिरी पुत्र श्री करतार गिरी, निवासी ग्राम-नयागांव भुम्मा, थाना-मीरापुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी पूर्व में उ0प्र0 पुलिस में कांस्टेबिल के पद पर कार्यरत था। बैंक लूट के दौरान बन्दी ने दिनांक 08.09.80 को 09 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मुठभेंड में ईश्वरी त्यागी, राजेन्द्र दत्त और सुरेन्द्र सिंह नाम के 03 बदमाशों को मार गिराया था। माया त्यागी से अभद्रता की गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 393/149, 354/149, 148, 201, 218, 120बी के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 23.01.1988 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-183/1988 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.1988 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.08.2016 तक 25 वर्ष 07 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष 00 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 03 सहअभियुक्त कारागार में हैं। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आनन्द गिरी (बन्दी संख्या-16627) पुत्र श्री करतार गिरी, निवासी-जनपद- मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-493/2017/974/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in